न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 65/2018 (223 आरटीए) जीवनराम वगै. बनाम भगाराम वगै

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00203)

1 जीवनराम पुत्र श्री भैराराम,
2 पुरखाराम पुत्र श्री भैराराम,
3 केशाराम पुत्र श्री भैराराम,
4 मिश्राराम पुत्र भैराराम,
5 अखाराम पुत्र भैराराम,

सभी जातियान मेघवंशी निवासीयान लुम्बानसर हाल चुतरपुरा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 भगाराम पुत्र श्री रूपाराम,
2 श्रीमती पप्पू पत्नी श्री रूपाराम,
3 गजाराम पुत्र श्री रेखाराम उर्फ खेताराम,
4 ईशराराम पुत्र श्री हरूराम,
5 मूलाराम पुत्र श्री हरूराम,
6 गोपाराम पुत्र श्री हरूराम,
7 श्रीमती समदो पत्नी श्री हरूराम,
8 स्वरूपाराम पुत्र श्री दीनाराम,
9 माधाराम पुत्र श्री दीनाराम,
10 गुणेशाराम पुत्र श्री बागाराम उर्फ बांकाराम,
11 गोबरराम पुत्र श्री सोनाराम,
12 दुधाराम पुत्र श्री सोनाराम,
13 श्रीमती रेशमी पत्नी श्री सोनाराम,
14 जगमालाराम, पुत्र श्री मालाराम,
15 श्रीमती मगी देवी पत्नी श्री मालाराम,
16 भोमाराम पुत्र श्री धुड़ाराम,
17 नरपताराम उर्फ नखताराम पुत्र श्री धूड़ाराम,
18 श्रीमती सुरती पत्नी श्री धूडाराम,
19 सताराम पुत्र श्री दमाराम,
20 चैनाराम पुत्र श्री बगताराम,
21 हमीराराम पुत्र श्री चीमाराम,
22 जबराराम पुत्र श्री लिच्छाराम नाबालिग जरिए वली बड़े पिता हमीराराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री चीमाराम, सभी जातियान मेघवंशी निवासी लुम्बानसर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

23 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 27.02.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 47/2016

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी।
2 रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा।
3 रेस्पो. सं. 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व वाद सं. 47/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से राजस्व वाद सं. 47/2016 पेश किया कि पक्षकारान की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम लुम्बानसर में आई हुई है। जिसके खसरा नं. 654 रकबा 218 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 659 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा है। इसी प्रकार ग्राम चुतरपुरा में खसरा नं. 179 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 180 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 181 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 182 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 183 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 189 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 190 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 589 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 615 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि आई हुई है। इसमें रेस्पोडेंट सं. 1 से 19 एवं अपीलांट का 3/4 हिस्सा है एवं रेस्पो. सं. 20 से 22 का 1/4 हिस्सा है। पत्रावली तलबी में ही चल रही थी तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट/प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई थी। इसी बीच पत्रावली वादीगण ने सुवालिया लोक अदालत में रखवा दी जिस पर दिनांक 18.05.2017 को मौके पर काबिज अनुसार प्रारंभिक डिक्री जारी करने का आदेश कर दिया तत्पश्चात तहसीलदार शेरगढ़ की रिपोर्ट पेश हुई जो काबिज अनुसार नहीं थी और न ही नाप व सीमांकन के अनुसार थी बल्कि बिना मौका देखे वादीगण के कथनानुसार थी। तीन खातेदारों के गलत हिस्से दर्ज कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों से आपत्तियां भी नहीं मांगी गई जबकि आवश्यक होती है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सभी को नजरंदाज करते हुए रिपोर्ट अनुसार प्राथमिक डिक्री को ही फाइनल डिक्री में परिवर्तित कर आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात पक्षकारान की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी वास्ते संशोधन प्रस्तुत किया जिस पर अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया तथा विचाराधीन है। जबकि कानूनन अंतिम डिक्री पारित ही नहीं हुई। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री को ही अंतिम डिक्री में परिवर्तित कर अंतिम डिक्री का आदेश पारित करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती गलती की है, इसलिए अपास्त किए जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में अपीलांट/प्रतिवादीगण तामील ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट सं. 1 से 22 वादीगण ने पत्रावली को सुवालिया लोक अदालत में 18.05.2017 को रखवाई जिसमें केवल इस बाबत सहमति थी कि मौके पर काबिज है उसी अनुसार बंटवाड़ा किया जावे। जिसका आदेशिका में भी उल्लेख है जिस पर वादीगण के हस्ताक्षर हैं तथा प्रतिवादीगण के नहीं हैं। जिसका तात्पर्य हुआ कि प्रतिवादीगण की सहमति नहीं ली गई जो लोक अदालत के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिनमें दोनों पक्षकारों की सहमति हो। ऐसी प्राथमिक डिक्री में परिवर्तित कर अंतिम डिक्री पारित कर दी जबकि अंतिम डिक्री पारित करने की तो स्थिति ही नहीं आई। इसलिए अंतिम डिक्री अपास्त किए जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शेरगढ़ को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारों की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया। तहसीलदार शेरगढ़ ने हल्का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पटवारी को निर्देश दे दिया। हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे ही वादीगण के कथनानुसार मौके के विपरीत रिपोर्ट तैयार कर दी जिस बाबत प्रतिवादीगण को जानकारी ही नहीं है। यही रिपोर्ट तहसीलदार शेरगढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जिसमें तीन खातेदारों का तो हिस्सा ही गलत अंकित कर दिया तथा मौके पर काबिज अनुसार रिपोर्ट ही नहीं हैं। इस गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जो अपास्त करने योग्य है। तहसीलदार शेरगढ़ दोनों पक्षों की उपस्थिति बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी थी परंतु तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई बल्कि वादीगण के कथनानुसार तैयार कर प्रस्तुत की गई। न तो प्रतिवादीगण को सूचित किया और न ही मौका देखा इसलिए माप व सीमांकन की स्थिति ही नहीं आई जिसका तात्पर्य यह हुआ है कि विधिक बंटवाड़ा ही नहीं हुआ। अपीलांट्स का खसरा नं. 615 में रहवासीय ढाणियां पानी के टांके व बाड़े बने हुए हैं जिसका रिपोर्ट में उल्लेख ही नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री की पूर्ण पालना नहीं हुई है व अंतिम डिक्री जारी कर दी गई है। इस प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव पेश हुए हैं वह न तो मौके पर कब्जानुसार हैं और न ही मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन पक्षकारों की ओर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. पेश की जा चुकी है जिसका निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया इसलिए डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उनकी अनुपस्थिति में पारित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करने का निवेदन किया। अतः निवेदन किया गया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2018 अपास्त फरमाई जावे व प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

5 रेस्पो. सं. 1 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गई है वह तहसीलदार शेरगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 को पेश हो चुकी थी। इसके पश्चात अंतिम डिक्री दिनांक 27.02.2018 को पारित की गई थी। इस बीच अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर मौके पर सभी सह खातेदारान के हस्ताक्षर भी करवाए हैं, अतः अपीलांट्स का यह कथन बिल्कुल गलत है कि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। अतः न्यायालय ने तहसीलदार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रिपोर्ट पर अंतिम डिक्री जारी की है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र गलत तथ्य अंकित करते हुए पेश किया है, अपील देरी से पेश की गई है व अपील मियाद बाहर भी है। अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 23 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट्स की मुख्य आपत्ति यह है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं किए गए हैं। विभाजन प्रस्ताव में तीन पक्षकारों का हिस्सा गलत कर दिया है उसके लिए धारा 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था जो निर्णित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं मांगी और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया। उक्त आपत्तियों के संबंध में हमने मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर लगभग सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं परंतु अपीलांट सं. 4 मिश्राराम व रेस्पोडेंट सं. 1 भगाराम के हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः प्रकरण में मौके सभी सहखातेदारान की उपस्थिति में नहीं किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से यह भी ज्ञात होता है कि ये विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार नहीं हैं तथा जो हिस्से में भूमियां रखी गई हैं उनमें व्हाइटनर लगा कर बदल दिया गया है तथा रकबे में कांट–छांट व ओवर राईटिंग की गई है। इस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि इस प्रकार की कांट–छांट को सत्यापित करना व पक्षकारान को सुनवाई करना आवश्यक था। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह भी ज्ञात होता है कि अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.02. 2018 में बहस केवल वादीगण के अधिवक्ता की सुनी गई है। प्रतिवादी अधिवक्ता की उपस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तथा एक पक्षीय वकील वादी की बहस सुनकर दिनांक 27.02.2018 को अंतिम निर्णय व डिक्री प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में जारी कर दी गई है। निर्णय व डिक्री में प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित लिखा गया है लेकिन आदेशिका में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतिवादीगण की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं हैं और न ही उनके उपस्थिति के प्रमाण में आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं। अतः अपीलांट के इस कथन से हम पूर्णतया सहमत है कि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादीगण को पूर्ण सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा उनकी अनुपस्थिति में अंतिम निर्णय व डिक्री जारी किया है।

इस अपील में अपीलांट की ओर से धारा–5 का प्रार्थना पत्र अपील में हुई देरी को माफ करने के लिए पेश हुआ है। धारा–5 के तथ्यों व अपील पेश करने में हुई देरी के संबंध में रेस्पोडेंट की ओर से कोई जबाब व काउंटर शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए एवं प्रकरण अपीलांट की अनुपस्थिति में अंतिम डिक्री किया गया है इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त योग्य पाई जाती है तथा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार शेरगढ़ से राजस्व मण्डल द्वारा बनाए गए नियमों की पालना करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाए जावें। तत्पश्चात उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय व अंतिम डिक्री विधि अनुसार पारित की जावे।

22/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर